

पत्रांक.....व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, दिनांक.....

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, खगड़िया।

सेवा में,

अभ्यर्थी/प्राधिकृत प्रतिनिधि
सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी।


विषय :- लोक चुनाव 2014 का अभ्यर्थी व्यय पंजी जाँच हेतु उपस्थापित नहीं करने के सम्बन्ध में कारण पृच्छा।

प्रसंग :- व्यय प्रेक्षक, 25 खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का पत्रांक 47 दिनांक 17.04.2014

महाशय,


उपर्युक्त विषयक निर्धारित तिथि 17.04.2014 को आपके द्वारा प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय पंजी प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष जाँच हेतु उपस्थापित नहीं किया गया।

आप को निदेश दिया जाता है कि इस कारण पृच्छा के प्राप्ति के 48 घंटा के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दाखिल करें। स्पष्टीकरण दाखिल नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दिया जायेगा तथा वाहन इत्यादि की दिया गया अनुमति रद्द कर दिया जायेगा।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, खगड़िया।
25-खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र

पत्रांक..... 17 दिनांक..... 18.04.14

प्रतिलिपि :- व्यय प्रेक्षक, 25- खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, खगड़िया।
25-खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र